सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
भाद्र 13, शुक्रवार, शाके 1942–सितम्बर 4, 2020 *Bhadra 13, Friday, Saka 1942–September 4, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 02, 2020

संख्या एफ.27(क)(20)गृह-2/2019 :-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 केन्द्रीय अधिनियम-2) की धारा 2 के खण्ड (एस) के अनुसरण में तथा इस बारे में इसको समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा जिला कोटा ग्रामीण में निम्नांकित गांवों को उनके वर्तमान थानों से हटाकर उनके सामने अंकित पुलिस थाने की अधिकारिता में स्थानान्तरित किए जाने की घोषणा करती है:-

क्र.स.	गांव/क्षैत्र/ मजरा	वर्तमान			स्थानान्तरित		
		थाना	सर्किल	उपखण्ड	थाना	सर्किल	उपखण्ड
1	दरा स्टेशन	मोडक	वृत्त रामगंजमण्डी	कनवास	कनवास	वृत्त सांगोद	कनवास
2	मोरूकलां	मोडक	वृत्त रामगंजमण्डी	कनवास	कनवास	वृत्त सांगोद	कनवास
3	मोरूखुर्द	मोडक	वृत्त रामगंजमण्डी	कनवास	कनवास	वृत्त सांगोद	कनवास
4	काल्याकुई (किशोर सागर)	मोडक	वृत्त रामगंजमण्डी	कनवास	कनवास	वृत्त सांगोद	कनवास
5	किशोरपुरा	मोडक	वृत्त रामगंजमण्डी	कनवास	कनवास	वृत्त सांगोद	कनवास

यह अधिसूचना इस विषय पर इसके पूर्व में प्रसारित सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में समझी जावें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,
रामनिवास मेहता,
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (पुलिस)

5646

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।